न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 181/2024 निर्णय दिनांक 05.02.2025
जीसीएमएस नम्बर 2024/378

मोहनीदेवी पत्नि भागीरथ जाति जाट निवासी बाना तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
–वादीनी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ 2. मोहम्मद जबार पुत्र मेहनुदीन 3. यासीन पुत्र गनी जाति धोबी (मुस्लिम) निवासी श्रीडूंगरगढ़ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
–प्रतिवादीगण–

उपस्थितिः–

1. श्री राजूराम बाना अभिभाषक वादीनी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।
3. श्री के. के. पुरोहित अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 2 ता 3 ओर से

दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व धारा 136 एलआर एक्ट

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीनी की ओर से प्रार्थना पत्र निम्नलिखित आधारो पर सादर प्रस्तुत कि वादीनी के नाम से खेत खसरा नम्बर 567/42 तादादी 6.6400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 568/42 तादादी 1.5800 हैक्टेयर रोही सालासर में स्थित है उक्त खेत वादीनी ने जरिये विक्रय पत्र क्रय के दाऊद वल्द गनी के मध्य एवं मैना बानो पत्नि जमालदीन के दक्षिणी तरफ हिस्से को खरीद किये थे। वादगत खेत पुराने खसरा नम्बर 42 तादादी 21.7300 हैक्टेयर के विभाजन से टुकडे होकर कायम हुए है विभाजन पत्र के अनुसार यासीन पुत्र गनी के पूर्वी तरफ मनुदीन पुत्र गनी के उतरी पश्चिमी तरफ दाऊद वल्द गनी के मध्य एवं मैना बानो पत्नि जमालदीन के दक्षिणी तरफ हिस्से पांती में आये हुए है उसी अनुसार मौके पर सीमाऐ कायम है लेकिन वर्तमान राजस्व नक्शो में तरमीम विभाजन एवं मोके कब्जे तथा विक्रयपत्रों के बिल्कुल विपरीत है। वादगत खेतो का कब्जा काश्त विक्रय पत्र एवं विभाजन प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार ही मौके पर कायम है उसी अनुसार मौके पर कब्जा काश्त कायम है एवं सीमा कायम कर रखी है लेकिन राजस्व कर्मचारियो द्वारा वादीनी के खेतो की तरमीम मौके कब्जे के विपरीत कर दी। वादगत खेत खसरा नम्बर 567/42 तादादी 6.6400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 568/42 तादादी 1.5800 हैक्टेयर रोही सालासर विभाजन के अनुसार ही वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 का कब्जा काश्त कायम है जबकि वर्तमान राजस्व नक्शा मौके कब्जे एवं विक्रय पत्रो तथा विभाजन के बिल्कुल विपरीत है। जिसको वादीनी मौके कब्जे एवं विक्रय पत्रों एवं विभाजन के अनुसार करवाने की अधिकारी है। वादीनी ने दिनांक 27.08.2024 को राजस्व रिकार्ड की नकले निकलवाई तो पता चला की वादीनी के खेत की तरमीम मौके कब्जे के विपरीत दर्ज है जिसको वादीनी ने प्रतिवादी संख्या 1 से मौके कब्जे के अनुसार करवाने के लिए निवेदन किया तो प्रतिवादी ने रिकार्ड सही करने से इनकार कर दिया प्रतिवादी की इनकारी से वादीनी को वाद हेतु हासिल है। वादीनी के खरीद के समय वादगत खेतों की सीमाओ की तरमीम नही थी । विक्रय पत्रो मे दर्ज आसे पासे एवं तादादी के अनुसार ही राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शे में दर्ज होना था लेकिन नवीन राजस्व नक्शे में तरमीम मौके कब्जे के विपरीत है जिसको राजस्व नक्शे में मौके कब्जे एवं विक्रय पत्रो के अनुसार करवाना जरूरी हो गया है। वादीनी के खेतों के राजस्व नक्शे में तरमीम मौके कब्जे एवं विक्रय पत्रो के विपरीत होने से वादीनी को अपूरणीय क्षति कारित हो रही है। वादीनी की भूमि रोही सालासर में

Signature Not Verified
Digitally Signed by Uma Mittal
Date: 2025.03.24 10:41:23 IST
Reason: SelfAttested

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

अधरिथत है जो श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है। दावा जानकारी के अन्दर मियाद एंव पूर्ण न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। अतः वादीनी का दावा स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से आदेश फरमानें की कृपा करें ।

(क) कि रोही सालासर के वादगत खेत खसरा नम्बर 567/42 तादादी 6.6400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 568/42 तादादी 1.5800 हैक्टेयर की राजस्व नक्शे में तरमीम मौके कब्जे एवं विक्रय पत्रो के अनुसार घोषित की जावें।

(ख) कि प्रतिवादी संख्या 1 को आदेशित किया जावे कि रोही सालासर के वादगत खेत खसरा नम्बर 567/42 तादादी 6.6400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 568/42 तादादी 1.5800 हैक्टेयर की राजस्व नक्शे में तरमीम मौके कब्जे एवं विक्रय पत्रो के अनुसार दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करें।

(ग) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादीनी हो अथवा दौराने दावा हितकर वादीनी हो जावें वह भी आज्ञाप्त फरमाया जावें ।

वादिनी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्ट्र किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर इकबालिया जवाब दावा पेश किया। स्टेट की ओर से पैरोकारराज ने जवाब दावा पेश किया। पत्रावली में विवाद्यक बिन्दु नहीं होने के कारण तनकीहात कायम नहीं की गई। बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में प्रतिवादीगण एवं स्टेट को वादी वाद स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 567/42 तादादी 6.6400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 568/42 तादादी 1.5800 हैक्टेयर वाकेराही सालासर तहसील श्रीडूंगरगढ की राजस्व नक्शे में तरमीम मौके कब्जे अनुसार घोषित की राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निणर्य आज दिनांक 05.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.03.24 10:41:23 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री मुकदमें इन्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ

पीठासीन अधिकारी उमा मित्तल आरएएस

उनवान

मोहनीदेवी पत्नि भागीरथ जाति जाट निवासी बाना तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—वादीनी—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ 2. मोहम्मद जबार पुत्र मेहनुदीन 3. यासीन पुत्र गनी जाति धोबी (मुस्लिम) निवासी श्रीडूंगरगढ़ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर। **—प्रतिवादीगण—**

मुकदमा नम्बर 181/2024

दावा बाबतः घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

निर्णय दिनांकः 05.02.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी श्री राजूराम बाना अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व पैरोकारराज स्टेट की ओर से मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नम्बर 567/42 तादादी 6.6400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 568/42 तादादी 1.5800 हैक्टेयर वाकेरोही सालासर तहसील श्रीडूंगरगढ की राजस्व नक्शे में तरमीम मौके कब्जे अनुसार घोषित की जाकर राजस्व नक्शे में तरमीम मौके कब्जे अनुसार कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। **तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।**

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 05 माह 02 सन् 2025 को जारी किया गया ।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूंगरगढ

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह—भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.03.24 10:41:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ